



2026:AHC:45631

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2026 की 3128

भगवान स्वरूप गौतम एवं 2 अन्ययाचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कैलाश प्रकाश पांडेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश प्रकाश पांडेय तथा राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना गया।
2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता (जो राज्य पुलिस में उप-निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे) इस न्यायालय द्वारा **घनश्याम तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, सिविल विविध. रिट याचिका संख्या 44330/2012** के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में 19 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि चाहते हैं। उक्त निर्णय का अनुसरण **वीरेन्द्र कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य, रिट-A संख्या 48601/2015** में भी किया गया था, जिसके विरुद्ध दायर विशेष अपील (विशेष अपील त्रुटिपूर्ण संख्या 538/2016) दिनांक 07.09.2016 को खारिज कर दी गई थी और तदुपरान्त विशेष अनुमति याचिका (एस. एल.पी सीसी 6316/2017) भी दिनांक 03.04.2017 को खारिज कर दी गई थी।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह कानूनी स्थिति आज की तिथि तक यथावत बनी हुई है और याचिकाकर्ताओं जैसे कई अन्य कर्मचारियों को इसका लाभ प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने इस न्यायालय द्वारा हाल ही में **राधे श्याम यादव एवं 4 अन्य** अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 6 अन्य, रिट-ए संख्या 6753/2023 के मामले में पारित आदेश को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता उपरोक्त कानूनी स्थिति पर विवाद नहीं कर सके।
5. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, यह याचिका इस निर्देश के साथ **निस्तारित** की जाती है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अपना व्यक्तिगत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में, याचिकाकर्ताओं के दावे पर **घनश्याम तिवारी (उपरोक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय के निबंधनों के अनुसार विचार किया जाएगा और नया प्रत्यावेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित कर उसका निस्तारण किया जाएगा।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

27 फरवरी, 2026

आशु

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।